उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

संख्या-611/2024/660पी(1)/24-27-सिं0-4-231(डब्ल्यू)परि0/2024

लखनऊः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2024

शुद्धि पत्र

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-**585**/2024/660पी/24-27-सिं0-4-/001-**231**-डब्ल्यू-परि0-2024, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 द्वारा **जनपद जौनपुर में शाहगंज राजवाहा के सीमांकन एवं पुनर्स्थापना की परियोजना** लागत रू0 1034.99 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-94 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **4700-09-051-10-14-24** के अन्तर्गत प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू0 **396.87** लाख (रुपये तीन करोड़ छियान्वे लाख सत्तासी हजार मात्र) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश में FINRMS पोर्टल पर सेनशन इन्ट्री के वित्तीय स्वीकृति के आलेख में पत्रावली संख्या-**231**-डब्ल्यू-परि0-2024 के स्थान पर टंकणीय त्रुटिवश पत्रावली संख्या-**234**-डब्ल्यू-परि0-2024 अंकित हो गया है। तत्क्रम में उक्त शासनादेश की पत्रावली संख्या-**234**-डब्ल्यू-परि0-2024 के स्थान पर **231**-डब्ल्यू-परि0-2024 पढ़ा जाय।

यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

वी0 एन0 तिवारी
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
9- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0 एन0 तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in